



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247725
CG-DL-E-31072023-247725

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3265]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945

No. 3265]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023

का.आ. 3412(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (तीन सौ बहत्तरवां संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

(क) प्रविष्टि "22क. ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम।" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"22क. ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम/विषय-वस्तु।";

(ख) प्रविष्टि 22ख. के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"22ग. ऑनलाइन विज्ञापन।"

द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/7/2020-मंत्रि.]
आशुतोष जिंदल, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2023

S. O. 3412(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Three Hundred and Seventy-second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)”,-

a) for entry “22A. Films and Audio-Visual programmes made available by online content providers.”, the following entry shall be substituted, namely: -

“22A. Films and Audio-Visual programmes/content made available by online content providers/publishers.”;

b) after entry 22B, the following entry shall be inserted, namely:-

“22C. Online advertisements.”.

DROUPADI MURMU

PRESIDENT

[F. No. 1/21/7/2020-Cab.]

ASHUTOSH JINDAL, Addl. Secy.